संख्या-32/2024/1611/22-2-2023-17(309)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 अप्रैल, 2024

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सतीश कुमार पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12154/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023) दिनांक-13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बदी सतीश कुमार पुत्र श्री करतार सिंह, नगला डाडा, थाना-पिसावा, जनपद अलीगढ का निवासी है। चुनाव को लेकर चली आ रही रजिश के कारण दिनांक 23.11.1989 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर टेक चन्द एवं प्रीतम सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-159/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148, 452 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), अलीगढ के आदेश दिनाक 12.06.1991 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2007 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.03.2022 तक 14 वर्ष 01 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा सपरिहार 18 वर्ष 07 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 23.11.1989 को बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक एवं तमंचे से गोली मारकर टेक चन्द एवं प्रीतम सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतीश कुमार पुत्र श्री करतार सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सतीश कुमार (बंदी संख्या-227/2018) पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-32/2024/1611(1)/22-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-423/2022 सतीश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-32/2024/1611/22-2-2023-17(309)/2023

दिनांक 03 अप्रैल, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बदी सतीश कुमार पुत्र श्री करतार सिंह, नगला डाडा, थाना-पिसावा, जनपद अलीगढ का निवासी है। चुनाव को लेकर चली आ रही रजिश के कारण दिनांक 23.11.1989 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर टेक चन्द एवं प्रीतम सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-159/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148, 452 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), अलीगढ के आदेश दिनाक 12.06.1991 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2007 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.03.2022 तक 14 वर्ष 01 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा सपरिहार 18 वर्ष 07 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 23.11.1989 को बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक एवं तमंचे से गोली मारकर टेक चन्द एवं प्रीतम सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतीश कुमार पुत्र श्री करतार सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।